

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक सं. एफ.3(ख) (बी-598/83)अलेसे-II

दिनांक:-

प्रमाण पत्र

श्री भीमराज सोनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के क्रम में राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत इस विभाग के ज्ञापन संख्या एफ.1(सी) 1229/ जांच/ 2008/ 728-31 दिनांक 09.04.2008 के जरिए आरोप पत्र जारी किया गया। आदेश क्रमांक एफ.1(सी)1229 /जांच / 2008/ 881-885 दिनांक 16.02.2018 द्वारा श्री भीमराज सोनी, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को राज्य सेवा से दिनांक 30.09.2015 को सेवानिवृत्त होने के कारण उनके प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए श्री सोनी को आरोपमुक्त करते हुए प्रकरण को एतद्वारा समाप्त किया गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री भीमराज सोनी के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।


निदेशक

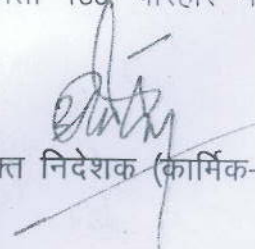
कोष एवं लेखा
राजस्थान जयपुर

क्रमांक सं. एफ.3(ख) (बी-598/83)अलेसे-II 2715

दिनांक:-14-3-18

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जोधपुर।
3. उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, जोधपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
6. कोषाधिकारी, जोधपुर।
7. श्री भीमराज सोनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (सेवानिवृत्त) पता 186, परिहार नगर, जोधपुर- 342007
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली/ वरिष्ठता सीट


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)